AHS-A/A4/2/2022-XV-1-Animal Husbandry Department

1/179276/2024

(51)

ई पत्र संख्या- 179276/XV-I/23/6(3)22/35602

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 03 जनवरी दिसम्बर, 2024

विषय : मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके ई पत्र संख्याः 8720/2023/पशुधन–तीन/SLM/2023–24 दिनांकः 05.12.2023 के क्रम में शासनादेश संख्याः 163931/XV-I/23/6(3)22/35602 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

| पूर्ववत् प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|
| **1.2 बड़े पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**– डेरी उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्धकराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 05 गाय इकाई, 05 भैंस इकाई, 10 गाय इकाई एवं 10 भैंस इकाई की 250–250 इकाईयां कुल 1000 इकाईयां तथा एक खच्चर व दो खच्चर की क्रमशः 500 एवं 250 कुल 750 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। | **बड़े पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**–डेरी उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 05 गाय इकाई, 02 भैंस इकाई, 10 गाय इकाई एवं 05 भैंस इकाई की 250–250 इकाईयां कुल 1000 इकाईयां तथा एक खच्चर व दो खच्चर की क्रमशः 500 एवं 250 कुल 750 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। |
| **1.2 छोटे पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**– भेड़–बकरी उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 5+1 व 10+1 की क्रमशः 100 व 500 कुल 1500 इकाईयां तथा सूकर 5+1 व 10+1 | **छोटे पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**– भेड़–बकरी उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 5+1 व 10+1 की क्रमशः 1000 व 500 कुल 1500 इकाईयां तथा सूकर 5+1 व 10+1 की कुल 200 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। |

1240
05/01/2024

| | |
|---|---|
| की कुल 200 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। | |
| **1.2 कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास**–कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत Commercial Layer फार्म 1000 पक्षियों के 250 इकाईयां व Small Layer कुक्कुट पक्षियां 250 के 500 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। | **कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास**–कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत Commercial Broiler फार्म 1000 पक्षियों के 250 इकाईयां व Small Commercial Layer फार्म कुक्कुट पक्षियां 250 के 500 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। |
| **1.2 प्रोजेक्ट प्रबन्धन इकाई**–योजना के प्रभावी क्रियान्वयन / संचालन एवं अनुश्रवण योजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत धनराशि से राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तर पर एम0आई0एस0 सेल के माध्यम से किया जायेगा। | विलोपित |
| 1.5 लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बनाये गये समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जायेगा, जिस हेतु लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। | योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल बनने तक लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करेगें तत्पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगें। |
| 1.5 सर्वप्रथम लाभार्थी का आवेदन लाभार्थी द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात डी0एल0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच पश्चात अनुमोदित अन्तिम सूची राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई | सर्वप्रथम लाभार्थी का आवेदन लाभार्थी द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को प्राप्त होगी। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आई0ए0) द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची तैयार की जायेगी। |

| | |
|---|---|
| (एस0एल0आइ0ए0) को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। | |
| 1.5 जनपद स्तरीय समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त एस0एल0आई0ए0 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। | जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। |
| 1.5 जिला स्तर से अनुमोदित सूची (लाभार्थी का आवेदन–पत्र) राज्य स्तर पर स्थापित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (एस0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात एस0एम0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच उपरान्त सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। | जिला स्तर से अनुमोदित सूची जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) द्वारा लाभार्थी के आवेदन–पत्र सहित सम्बन्धित बैंक के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। |
| 1.5 राज्य क्रियान्वयन समिति–योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक पशुपालन विभाग के कार्यालय को नामित किया जायेगा, जिनके सहयोगार्थ उनके द्वारा नामित अधिकारी/ कर्मचारी कार्य करेगे। इस योजना के सम्पूर्ण अभिलेखों का रख रखाव आदि का दायित्व पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड का होगा। एस0एल0आई0ए0 द्वारा राज्य स्तरीय अधिशासी समिति को समस्त आवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने होंगे। | विलोपित |
| 1.5 राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा आवेदन की जांच पश्चात सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। | |
| 1.5 राज्य क्रियान्वयन समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय देहरादून में स्थापित होगा | राज्य अनुश्रवण समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय देहरादून में स्थापित होगा तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण का कार्य |

| | |
|---|---|
| तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी। राज्य स्तरीय क्रियान्यवन समिति की स्थापना में पशुपालन विभाग एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक पदस्थ किये जायेगें, जिस हेतु परियोजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से परियोजना के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त धनराशि को एस0एल0आई0ए0 के संचालन हेतु व्यय किया जायेगा। एस0एल0आई0ए0 के क्रियान्वयन हेतु व्यवसायिक एजेन्सी को आर0एफ0पी0 के माध्यम से (जैम पोर्टल पर) नियमानुसार किया जायेगा। | करेगी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर योजना संचालित कर वायेगी। |
| 1.5 बैंक द्वारा अपनी संस्तुति के पश्चात आवेदनकर्ता के आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय अधिशासी समिति (एस0एल0ई0सी0) के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे। एस0एल0ई0सी0 के अनुमोदन उपरान्त आवेदनकर्ता का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता के बैंक को प्रेषित किया जायेगा। | विलोपित |

**2. योजना संचालित किए जाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजनाः—**

| क्र.सं. | गतिविधि | समय सारणी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| अ | राज्य एवं जनपद स्तरीय लाभार्थीपरक योजना हेतु समय सीमा। | | |
| 1 | एस0एल0आई0ए0 के गठन एवं इस हेतु अधिकारियों /कर्मचारियों का चिन्हाकन एवं कार्य आवंटन। | 10 दिन | पशुपालन विभाग |
| 2 | जनपदीय परियोजना क्रियान्यन इकाई की स्थापना एवं इस हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों | 15 दिन | पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर /संविदा पर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | का चिन्हाकन एवं कार्य आवंटन। | | | विलोपित |
| 3 | व्यावसायिक एजेन्सी की सेवाओं हेतु आर0एफ0ई0 एवं एजेन्सी का चयन। | एक से दो माह | जैम पोर्टल से निविदा आमंत्रण की जायेगी। | |
| 4 | व्यवसायिक एजेन्सी द्वारा समर्पित पोर्टल विकसित करना। | एक माह | नियुक्त होने से एक माह के भीतर। | |
| 5.3 | राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई द्वारा आवेदन को परीक्षणोपरांत ऋण संस्तुति सहित संबंधित बैंक को प्रेषित की जायेगी। | – | – | जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई(डी0एल0आइ0ए0) द्वारा आवेदन को परीक्षणोपरांत ऋण संस्तुति सहित संबंधित बैंक को प्रेषित की जायेगी। |
| 5.4 | बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना बैंक द्वारा एस0एल0 आई0ए0 को उपलब्ध कराई जायेगी। | – | – | बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना बैंक द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को उपलब्ध कराई जायेगी। |
| 5.5 | एस0एल0आई0ए0 द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। | – | – | जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0 आइ0ए0) द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। |
| | **4. योजना का अनुश्रवण/संचालन**– योजना का अनुश्रवण सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पाक्षिक आधार पर किया जायेगा तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय 10 प्रतिशत लाभार्थियों का अनुश्रवण किया जायेगा। | | | योजना का संचालन वर्तमान में ऑफलाइन मोड में किया जायेगा। विभागीय पोर्टल के सुचारू रूप से संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन/पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। |
| | **5. योजना का वित्तीय उपाशय**– योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण, वैक्सीनों के लिये कोल्ड चेन प्रबन्धन, डेयरी उद्यमिता विकास हेतु डेयरी इकाईयों की स्थापना, भार वाहक पशुओं (खच्चर) की इकाईयों की स्थापना, भेड़ एवं बकरी इकाईयों | | | **योजना का वित्तीय उपाशय**– योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण, वैक्सीनों के लिये कोल्ड चेन प्रबन्धन, डेयरी उद्यमिता विकास हेतु डेयरी इकाईयों की स्थापना, भार वाहक पशुओं (खच्चर) की इकाईयों की स्थापना, भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना, सूकर इकाईयों की स्थापना, कुक्कुट विकास सब–मिशन, कौशल विकास, तकनीकी स्थानान्तरण और प्रसार कार्य सब–मिशन हेतु वित्तीय उपाशय निहित है। |

6/2024

| | |
|---|---|
| की स्थापना, सूकर इकाईयों की स्थापना, कुक्कुट विकास सब–मिशन, कौशल विकास, तकनीकी स्थानान्तरण और प्रसार कार्य सब–मिशन हेतु वित्तीय उपाशय की आवश्यकता है। इसके साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य पर राज्य स्तरीय एम0आई0एस0 सेल एवं जनपद स्तर पर जनपदीय एम0आई0एस0 सेल के गठन एवं एस0आई0ए0 के कार्य सम्पादन हेतु कुल योजना लागत का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय उपाशय प्रस्तावित है। | |

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्ययोजना का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्याः 163931/XV-I/23/6(3)22/35602 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-01-2024 17:48:07

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

ई संख्याः 179276/XV-I/23/6(3)22/35602 तद्दिनॉकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. मुख्य निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मदनलाल)
अनु सचिव।

प्रेषक,

ई पत्र संख्या- 163931 /XV-I/23/6(3)22/35602

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01

देहरादून : दिनॉक 30 अक्टूबर, 2023।

विषय : मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्याः 4338/पशुधन–तीन/राज्य पशुधन मिशन/2023–24 दिनांकः 03.10.2023 के क्रम में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की कार्ययोजना निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

परिचय– उत्तराखण्ड राज्य में कृषि एवं पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध करा कर ग्रामीण आर्थिकी को विस्तार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हुये पलायन को रोका जा सके। वर्तमान में गौपालन, बकरीपालन, बैकयार्ड कुक्कुट पालन जैसी अनेक छोटी–छोटी इकाईयाँ राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित की जा रही है जिसको समन्वित रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन को संचालित किया जाना है। वर्तमान में राज्य मे जहाँ तक दुग्ध की उपलब्धता का प्रश्न है, तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पैकेट बंद विभिन्न कंम्पनियों के दुग्ध उत्पाद प्रयोग में लाये जा रहे है, जिससे स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर दूध की उपलब्धता मांगानुसार सुनिश्चित नही हो पा रही है एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से दुग्ध आपूर्ति कर मांग की पूर्ति की जा रही हैं। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में कुल 20,857 लाख अंडो की मांग के सापेक्ष मात्र 5,413 लाख अंडों की उपलब्धता हो पाई थी अर्थात मांग के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत अंडों की उपलब्धता हुयी। मुर्गे एवं बकरी के मांस की 126.878 हजार टन की मांग के सापेक्ष मात्र 21.245 हजार टन की उपलब्धता हो पाई, जो कि अत्यन्त न्यून हैं।

उक्त के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन की संकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से लाभार्थी को अपना उद्यम स्थापित करने में सहायता के साथ विभिन्न पशुउत्पादों की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को समाप्त करते हुये सरप्लस राज्य की श्रेणी में लाया जा सके।

**1.1. उद्देश्य–** मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के उद्देश्य निम्नवत हैः–

- पशुपालन विभाग की गतिविधियों में धन आवंटन के गैप राज्य सरकार एवं अन्य

1126
30/11/2023

संचालित योजनाओं के माध्यम से अभिसरण कर पूर्ण करना।

- पशुपालन विभाग हेतु पूंजीगत निवेश की कमी को पूर्ण करना।
- पशुचिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों के आधुनिकीकरण के साथ–साथ आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना।
- पशुधन के समग्र विकास हेतु पशुपालकों को सुलभ ऋण उपलब्धता हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुचिकित्साविदों, अन्य कार्मिकों तथा पैरावेटों एवं कृषकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आवारा/निराश्रित गोवंशीय पशुओं की व्यवस्था करना।

**1.2 परियोजना की रणनीति** –परियोजना की परिकल्पना सम्पूर्ण पशुधन प्रजाति का समान रूप से विकास करते हुए विशेष पशुधन आधारित गतिविधियों का विकास कर उद्यमियों को स्थापित करना है। परियोजनाओं को निम्न उप मिशनों (सब–मिशन) में विभाजित किया गया है:–

- **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण–पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटर एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना**–वर्तमान में सभी रिपोर्टिंग ऑनलाइन मोड में संचालित होने के कारण राज्य के 330 पशुचिकित्सालयों को कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लाईवस्टेक मिशन योजना से 85 पशुचिकित्सालयों को कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, शेष 245 पशुचिकित्सालयों को राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा तथा समस्त 330 पशुचिकित्सालयों को आधुनिकतम तकनीकी के उपकरणों व फर्नीचर से सुसज्जित किया जायेगा।
- **बड़े पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**–डेरी उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 05 गाय इकाई, 05 भैंस इकाई, 10 गाय इकाई एवं 10 भैंस इकाई की 250–250 इकाईयां कुल 1000 इकाईयां तथा एक खच्चर व दो खच्चर की क्रमशः 500 एवं 250 कुल 750 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- **छोटे पशुओं के पालन हेतु उद्यमिता कार्यक्रम**– भेड़–बकरी उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत 5+1 व 10+1 की क्रमशः 100 व 500 कुल 1500 इकाईयां तथा सूकर 5+1 व 10+1 की कुल 200 इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- **कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास**–कुक्कुट उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत Commercial Layer फार्म 1000 पक्षियों के 250 इकाईयां व Small Layer कुक्कुट पक्षियां 250 के 500

कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण के ब्याज का 90 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- कौशल विकास, तकनीक स्थानान्तरण एवं प्रचार–प्रसार–70 बैच विभागीय कार्मिक एवं 650 बैच पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियों हेतु आधुनिक तकनीकी की गतिविधियों से प्रशिक्षित कराते हुए कौशल विकास कर पशुपालन संबंधी गतिविधियों को सरल किया जायेगा एक बैच में 30–50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रोजेक्ट प्रबन्धन इकाई–योजना के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन एवं अनुश्रवण योजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत धनराशि से राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तर पर एम0आई0एस0 सेल के माध्यम से किया जायेगा।

1.3 प्रोजेक्ट आउट कम–परियोजना की परिकल्पना निम्न आउटकम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु की गई है:–

- बेहतर एवं कुशल पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवायें उपलब्ध कराना।
- पशुपालक के द्वार पर रोग निदान सहित तकनीकी सेवायें उपलब्ध कराना।
- पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमियों को विकसित करना।
- हितधारकों के कौशल विकास से नई तकनीकों का त्वरित ग्रहण एवं क्रियान्वयन करना।
- पशु रोगों के न्यूनीकरण एवं पशुधन की क्षति में कमी से पशुधन.जन्य पदार्थो में वृद्धि करना।
- उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन यथा–दूध, मांस एवं अण्डा की उपलब्धता से परिवारिक पोषण में सुधार लाना।
- गरीब, भूमिहीन एवं सीमान्त कृषकों की पारिवारिक आय एवं आजीविका में वृद्धि के साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ।
- उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने का प्रयास करना।

1.4 परियोजना आउटपुट– योजना की अवधि दो वर्ष है जिस हेतु निम्नवत आउटपुट सम्भावित है:–

- लगभग पांच से सात हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना।
- दस हजार से अधिक लोगो को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना।
- कुक्कुट पक्षियों सहित कुल 04 लाख से अधिक नये पशुओं को योजनान्तर्गत राज्य में लाया जाना।
- 14.20 लाख मानक दिवस प्रतिवर्ष रोजगार सृजन ।
- राज्य के कुल दुग्ध उत्पादन में 2.74 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध उत्पादित कर कुल रू0 87.6 करोड़ प्रतिवर्ष का योगदान।

- कुक्कुट व्यवसाय को बढावा देने के फलस्वरूप कुल रू0 12.65 करोड़ की आय अर्जित होगी जो कि 28.50 लाख किलोग्राम कुक्कुट मांस तथा 3.75 करोड़ अण्डों के उत्पादन से प्राप्त होगें।

**1.5 परियोजना के क्रियान्वयन की विधि–** परियोजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को विकसित करने का है तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित अन्य कार्य जैसे पशुपालन विभाग की सस्थाओं का सुदृढीकरण, कौशल विकास एवं अन्य गतिविधियां उक्त उद्देश्य के मात्र पूरक है। परियोजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगाः–

- लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा बनाये गये समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जायेगा, जिस हेतु लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।

- सर्वप्रथम लाभार्थी का आवेदन लाभार्थी द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात डी0एल0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच पश्चात अनुमोदित अन्तिम सूची राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (एस0एल0आइ0ए0) को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

- **जिला स्तरीय समिति का गठन–** जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य निम्नवत होगेः–

| क्र.सं. | समिति | दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 3 | उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति के कार्य निम्नवत होगेः–

- जनपद स्तरीय समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त एस0एल0आई0ए0 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

- जिला स्तर से अनुमोदित सूची (लाभार्थी का आवेदन–पत्र) राज्य स्तर पर स्थापित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (एस0एल0आइ0ए0) को प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात एस0एम0आई0ए0 द्वारा आवेदन की जांच उपरान्त सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

**राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (एस0एल0आइ0ए0)**–राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति में निम्नवत सदस्य होगेः–

| क्र.सं. | समिति | दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | निदेशक, पशुपालन | अध्यक्ष |
| 2 | प्रोजेक्ट से सम्बन्धित संयुक्त निदेशक | सदस्य |
| 3 | पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, पशु प्रजनन, | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति के कार्य निम्नवत होगे:-

**राज्य क्रियान्वयन समिति**– निदेशक पशुपालन विभाग योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा, जिनके सहयोगार्थ उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी कार्य करेगें। इस योजना के सम्पूर्ण अभिलेखों का रखरखाव आदि का दायित्व पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड का होगा। एस0एल0आई0ए0 द्वारा राज्य स्तरीय अधिशासी समिति को समस्त आवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

- राज्य स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा आवेदन की जांच पश्चात सम्बन्धित के बैंक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जांच एवं ऋण सस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- राज्य क्रियान्वयन समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय देहरादून में स्थापित होगा तथा निदेशक, पशुपालन के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी। राज्य स्तरीय क्रियान्यवन समिति की स्थापना में पशुपालन विभाग एवं आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक पदस्थ किये जायेगें, जिस हेतु परियोजना की कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से परियोजना के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त धनराशि को एस0एल0आई0ए0 के संचालन हेतु व्यय किया जायेगा। एस0एल0आई0ए0 के क्रियान्वयन हेतु व्यवसायिक एजेन्सी को आर0एफ0पी0 के माध्यम से (जैम पोर्टल पर) नियमानुसार किया जायेगा।
- बैंक द्वारा अपनी संस्तुति के पश्चात आवेदनकर्ता के आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय अधिशासी समिति (एस0एल0ई0सी0) के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे। एस0एल0ई0सी0 के अनुमोदन उपरान्त आवेदनकर्ता का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु आवेदनकर्ता के बैंक को प्रेषित किया जायेगा।
- **राज्य स्तरीय अधिशासी समिति का गठन**– राज्य स्तरीय अधिशासी समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य निम्नवत होगे:-

| क्र.सं. | समिति | दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 3 | संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन (बडे पशु/छोटे पशु) | सदस्य सचिव |
| 4 | संयुक्त निदेशक, कुक्कुट | सदस्य |
| 5 | पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, पशु प्रजनन | सदस्य |
| 6 | पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, कुक्कुट | सदस्य |

2. **योजना संचालित किए जाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना**:-

| क्र. सं. | गतिविधि | समय सारणी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| अ | राज्य एवं जनपद स्तरीय लाभार्थीपरक योजना हेतु समय सीमा । | | |
| 1 | एस0एल0आई0ए0 के गठन एवं इस हेतु अधिकारियों /कर्मचारियों का चिन्हाकन एवं कार्य | 10 दिन | पशुपालन विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आवंटन। | | |
| 2 | जनपदीय परियोजना क्रियान्यन इकाई की स्थापना एवं इस हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों का चिन्हाकन एवं कार्य आवंटन। | 15 दिन | पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर/संविदा पर |
| 3 | व्यावसायिक एजेन्सी की सेवाओं हेतु आर0एफ0ई0 एवं एजेन्सी का चयन। | एक से दो माह | जैम पोर्टल से निविदा आंमत्रण की जायेगी। |
| 4 | व्यवसायिक एजेन्सी द्वारा समर्पित पोर्टल विकसित करना। | एक माह | नियुक्त होने से एक माह के भीतर। |
| 5 | ई0ओ0आई0 के माध्यम से आम जन मानस से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन। | 15 दिन | — |
| 5.1 | आवेदक द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना। | 15 दिन | — |
| 5.2 | जनपद स्तरीय योजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच एवं अग्रसारण। | 15 दिन | — |
| 5.3 | राज्य स्तरीय क्रियान्वयन इकाई द्वारा आवेदन को परीक्षणोपरांत ऋण संस्तुति सहित संबंधित बैंक को प्रेषित की जायेगी। | — | — |
| 5.4 | बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जांने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना बैंक द्वारा एस0एल0आई0ए0 को उपलब्ध कराई जायेगी। | — | — |
| 5.5 | एस0एल0आई0ए0 द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। | — | — |
| 5.6 | कोषागार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से उक्त धनराशि को लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करायी जाएगी। | — | — |

**3. आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभागीय संस्थाओं के सुदृढीकरण—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पूंजीगत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण। | | |
| 2 | आंगणन टी0ए0सी0 उपरान्त प्रस्तुत करना । | एक माह | — |
| 3 | आंगणन एच0पी0सी0 से अनुमोदित कराना। | एक माह | — |
| 4 | नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करना। | दो माह | — |
| 5 | नाबार्ड से प्रथम किस्त के रूप में मोबलाईजेशन धनराशि स्वीकृति उपरान्त कार्यदायी संस्था को हस्तानान्तरण। | दो माह | — |
| | | दो माह | — |
| 6 | कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का समय। | | |
| 7 | विभागीय संस्थाओं के सुदृढीकरण एवं आधुनिकरण। | 18 माह | — |
| | | 06 माह | — |

4. योजना का अनुश्रवण– योजना का अनुश्रवण सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पाक्षिक आधार पर किया जायेगा तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय 10 प्रतिशत लाभार्थियों का अनुश्रवण किया जायेगा।

5. योजना का वित्तीय उपाशय–

योजनान्तर्गत पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण, वैक्सीनों के लिये कोल्ड चेन प्रबन्धन, डेयरी उद्यमिता विकास हेतु डेयरी इकाईयों की स्थापना, भार वाहक पशुओं (खच्चर) की इकाईयों की स्थापना, भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना, सूकर इकाईयों की स्थापना, कुक्कुट विकास सब–मिशन, कौशल विकास, तकनीकी स्थानान्तरण और प्रसार कार्य सब–मिशन हेतु वित्तीय उपाशय निहित है। इसके साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य पर राज्य स्तरीय एम0आई0एस0 सेल एवं जनपद स्तर पर जनपदीय एम0आई0एस0 सेल के गठन एवं एस0आई0ए0 के कार्य सम्पादन हेतु कुल योजना लागत का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय उपाशय निहित है।

योजना की अवधि दो वर्ष है, तथा ब्याज अदायगी हेतु योजना को आगामी 4 वर्षों तक चलाया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त कार्ययोजना का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar Bhatt
Date: 23-10-2023 16:20:42

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

ई संख्या: 163931/XV-1/23/6(3)22/35602 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ambika Vashishth
Date: 23-10-2023 16:21:51

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव।